

खैबर पख्तूनख्वा में भीषण धमाका, चेकपोस्ट पर हमला; 12 की मौत, 35 घायल



भारताथ खबर
Bhaarataraarth.com
 डेरा इस्माइल खान, 27 सितंबर 2026।
 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले के दराजिंदा इलाके में अमन मेला संयुक्त चेकपोस्ट को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत और 35 लोगों के घायल होने की सूचना है। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में नौ पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। घटना में एक सीमा शुल्क अधिकारी के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई है। विस्फोटक लगे वाहन को चेकपोस्ट से टकराने का दावा प्रारंभिक जांच के अनुसार, विस्फोटक से लगे एक वाहन को अमन मेला चेकपोस्ट से टकराया गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से चेकपोस्ट का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और पास का एक मकान भी दहल गया। घटना के बाद इलाके में

गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने की जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी। अमन मेला चेकपोस्ट डेरा इस्माइल खानझक्केटा मार्ग पर दराजुंडी और मुगल कोट के निकट स्थित है। यह क्षेत्र खैबर पख्तुनख्वा और बलूचिस्तान की सीमा के पास होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। वहां पुलिस और सीमा शुल्क से जुड़ी जांच गतिविधियां संचालित होती हैं। बचाव अभियान के दौरान एंथुलेंस पर भी गोलीबारी घटना के बाद राहत और बचाव दल घायलों तथा मृतकों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। इसी दौरान एक रेस्क्यू 1122 एंथुलेंस पर गोलीबारी की गई। अधिकारियों के अनुसार, एंथुलेंस में विस्फोट के पीड़ितों के शव ले जाए गए थे। इस गोलीबारी में एक बचावकर्मी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बावजूद बचाव दलों ने राहत एवं बचाव अभियान जारी रखा। 35 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया रेस्क्यू 1122 और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, घटना में 35 लोग घायल हुए हैं। घायलों को डेरा इस्माइल खान और दराजुंडी के चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई गई है। बचाव अभियान में कई एंथुलेंस, बचावकर्मी और अनिश्चान वाहन लगाए गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। बम निरोधक दल को भी घटनास्थल पर भेजा गया, ताकि विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री और घटना की परिस्थितियों की जांच की जा सके। हमले की जिम्मेदारी को लेकर अलग-अलग दलों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पाकिस्तान टुडे (PT) से जुड़े एक समूह द्वारा जिम्मेदारी लेने की जानकारी दी है, जबकि शुरूआती अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में तत्काल किसी संगठन द्वारा जिम्मेदारी स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं थी। इसलिए जांच पूरी होने तक जिम्मेदारी के दावे की आधिकारिक रूप से स्थापित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। पाकिस्तान ने तत्त्व ने की घटना की निंदा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जदरारी

और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना की निंदा करते हुए मुक्कों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहल अफगनी ने भी घटना पर चिंता जताई और प्रांत में सुरक्षा नीति की समीक्षा की आवश्यकता बताई। बढ़ती हिंसा से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से हिंसक हमलों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा है। दशजिंद की घटना में सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ आम नागरिक और राहतकर्मी भी प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से बचाव अभियान के दौरान एंबुलेंस पर गोलाबारी की घटना ने आपातकालीन सेवाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है। घटना की जांच, जिम्मेदार लोगों की पहचान और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा अब स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। साथ ही, घायलों को समय पर उपचार और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना राहत व्यवस्था की प्राथमिकता बनी हुई है।

एशियन गेम्स में अपना खिताब बरकरार रखा। अभय ने इससे पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अनाहत सिंह ने

सेमीफाइनल में जापान की सातो वतनाबे को खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 3-2 जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ वह एशियन गेम्स के महि

एशियन गेम्स 2026
भारत की स्वैश में

दो रजत पदक

अनाहत और अभय ने रचा इतिहास





अनाहत सिंह
भारत - रजत पदक

अभय सिंह
भारत - रजत पदक

एशियन गेम्स में भारत के पुरुष और महिला स्वैश खिलाड़ी एकल फाइनल तक पहुंचे

रचा ऐतिहासिक अध्याय महिला एकल के फाइनल में 18 वर्षीय अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया की सिवसंगरी सुभ्रण्यम से हुआ। सिवसंगरी ने 11-4, 11-4, 11-7 से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि अनाहत को रजत पदक मिला। अनाहत ने इससे पहले

SIR विवाद में गुलाम नबी आजाद के सवाल, बोले—दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की जांच जरूरी

भारतराथ खबर
Bhaarataraath.com

अनंतनाग, 27 सितंबर 2026। विंशे गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यशाला को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने मुख्य चुनाव आबुक्त जोशेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दो चुनाव आबुक्तों की ओर से बार-बार आपत्तियां दर्ज किए जाने के बाद पूरे मामले को जांच की जानी चाहिए। आजाद ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है, जब निर्वाचन आयोग के भीतर चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े कुछ निष्पत्तियों पर चुनाव आबुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज आपत्तियों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज है। यह बयान 26 सितंबर को सामने आया और 27 सितंबर तक इस पर राजनीतिक चर्चा जारी रही। दो चुनाव आबुक्तों की आपत्तियों का किया उत्तर-आजाद ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में निर्वाचन आयोग की कार्यशाला को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कई मामलों में आयोग को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज सार्वजनिक नहीं थे। उनके अनुसार, मौजूदा विवाद में रिश्तित इसलियत अलग है क्योंकि दो चुनाव आबुक्तों ने स्वयं आयोग के भीतर कई मुद्दों पर आपत्तियां दर्ज की हैं। द डीजन

एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आबुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार निर्वाचन आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। इन आपत्तियों व



संबंध नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, धर्म-6 में बदलाव तथा मतदाता डेट से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से था। मतदाता सूची और चुनाव की वैधता पर उठया सवाल गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बंदि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं, तो वह देखना आवश्यक है कि उससे प्रभावित क्षेत्रों में दुरुप चुनावों की प्रक्रिया पर उसका क्या प्रभाव पड़। उन्होंने ऐसे मामलों जांच की जरूरत बताते हुए कहा कि विषय व और से दोबारा चुनाव कराने की मांग को सीधे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, य

आजाद का राजनीतिक मत है। चुनाव दोबारा क्यों
का निर्णय संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया
के तहत ही लिया जा सकता है। निर्वाचन आयोग
ने कहा—पैसले सर्वसम्मति से लिए गए विवाद के
बीच निर्वाचन आयोग ने रिपोर्टों में बताए गए आंतरिक
मतदानों को अलग संदर्भ में रखा है। आयोग के
अनुसार, बहुसंख्यक संस्था में अलग-अलग
सदस्य अपने विचार, सुझाव व टिप्पणियाँ दर्ज कर
सकते हैं और यह निर्णय लेने की सामान्य प्रक्रिया
का हिस्सा है। आयोग ने यह भी कहा है कि स्क्रम
सहित पिछले 10 महीनों में लिए गए पैसले तीनों सदस्यों
की सर्वसम्मति से लिए गए। आयोग ने 14 अपितियों
के अतिरिक्त व अनेक दस्तावेजों को खारिज नहीं
किया, लेकिन उनका हकान है कि केवल कुछ
आंतरिक टिप्पणियों को आधार बनाकर आयोग
की पूरी कार्यवाही को आकलन करना उचित नहीं
है। फॉर्म-6 और मतदाता डेटा भी विवाद के केन्द्र में
रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयोग की आपत्तियों
में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल
होने वाले फॉर्म-6 में किए गए बदलावों की शमिल
थे। इसके अलावा मतदाता सूची के ईजिडल डेटाबेस
तक पहुंच, डेटा के वेंडिक्करण तथा स्क्रम के दौरान
मतदाताओं के नाम जोड़ें और हटाने की प्रक्रिया
को लेकर भी सवाल दर्ज किए गए थे। इसी क्रम में
देवों चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े त्रुटियों की
द्विच और एक के बंदोबस्ते से संबंधित कुल 260 की
कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखे थे। रिपोर्टों के

अनुसार, इन आपत्तियों की प्रतियाँ मुख्य चुनाव
आयुक्त जॉसे कुमार को भी भेजी गई थीं। SIR
को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ा SIR का
उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और प्राप्त
मतदाताओं तथा अप्राप्त नामों के बीच अंतर स्पष्ट
करना है। लेकिन इन प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों
ने पारदर्शिता, नाम हटाने की प्रक्रिया और मतदाता
अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर,
निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसके निर्णय
निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत
लिए जा रहे हैं। इस विवाद में अब मुख्य प्रश्न यह
है कि चुनाव आयोग के भीतर दर्ज की गई आपत्तियों
का वास्तविक प्रशासनिक और कानूनी प्रभाव
क्या था तथा संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय
किस प्रक्रिया के तहत लिए गए। गुलाम नबी
आजाद ने मामले की जांच की मांग करते हुए
विपक्षी दलों से इस मुद्दे को संसद में एकजुट होकर
उठाने की अपील भी की है। भारताई खबर का
निष्पक्ष दृष्टिकोण: उपलब्ध रिपोर्टों से यह स्पष्ट
है कि दो चुनाव आयुक्तों की ओर से कई अनियमित
औपचारिक आपत्तियाँ दर्ज किए जाने की रिपोर्टों
सामने आई हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने अंतिम
निर्णयों को सर्वसम्मत् बताया है। इसलिए किसी
व्यक्ति या संस्था पर अनियमितता का निष्कर्ष नहीं
निकालने से पहले संबंधित दस्तावेजों,
आधिकारिक जवाबों और कानूनी प्रक्रिया की
स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

काबुल, 27 सितंबर 2026।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को दावा किया कि पूर्वी नूरिस्तान प्रांत के कामदेश इलाके में सीमा पार से दाखिल हुए एक सशस्त्र समूह के खिलाफ कार्रवाई में 28 लड़कों मारे गए और 32 अन्य घायल हुए। मंत्रालय के अनुसार, समूह में इस्लामिक स्टेट से जुड़े लड़कों भी शामिल थे। हालांकि, इन दावों और हताहतों के आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान से घुसपैठ का अफगान आरोप अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सशस्त्र समूह शनिवार को पाकिस्तान की ओर से नूरिस्तान के कामदेश क्षेत्र में दाखिल हुआ था। अफगान सुरक्षा बलों ने इसके बाद अभियान चलाया। मंत्रालय का दावा है कि मारे गए लोगों में बड़ी संख्या पूर्व अफगान सरकार के सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों की थी। अफगान पक्ष ने यह भी आरोप लगाया

कि कुछ पाकिस्तानी मिलिशिया ने इस समूह को सहयोग दिया था। मंत्रालय ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी फार्म पूर्व अफगान सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण



देकर सीमा पार भेजने का आरोप भी लगाया है। ये आरोप फिलहाल अफगान पक्ष के दावों के रूप में ही सामने आए हैं। पाकिस्तान की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं रॉयटर्स के अनुसार घटना को लेकर पाकिस्तान की सेना और सूचना मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। ऐसे में अफगान रक्षा मंत्रालय द्वारा बताए गए

28 मृतकों और 32 घायलों के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल संभव नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर अपनी जमीन से पाकिस्तान-विरोधी सशस्त्र समूहों को गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। अफगान पक्ष इन आरोपों को खारिज करता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर हिंसा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। 21 सितंबर की हवाई कार्रवाई के बाद बढ़ता तनाव ताजा घटनाक्रम से कुछ दिन पहले 21 सितंबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई कार्रवाई की थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि कार्रवाई में 28 आतंकवादी मारे गए। इस के विपरीत अफगान अधिकारियों ने नागरिकों के मारे जाने की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) ने उस घटना में तीन नागरिकोंकूप एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चीकूकी मौत की पुष्टि की थी। पाकिस्तान ने कार्रवाई को सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अभियान बताया था, जबकि अफगान सरकार ने इसे अपनी संयुक्त का उल्लंघन बताया। सीमा पर लगातार बनी हुई है संवेदनशील स्थिति अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र में हाल के दिनों में सीमा गतिविधियों और गोलीबारी की घटनाएँ बढ़ी हैं। 25 सितंबर को भी पाकिस्तान सुरक्षा सूत्रों ने अफगान सीमा से उड़नेवाले एक गोलीबारी के दौरान अफगान तालिबान के कुछ सदस्यों के मारे जाने का दावा किया था। नूरिस्तान की ताजा घटना ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी आरोप लगातार तीखे हो रहे हैं। सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों, सैन्य कार्रवाई और जवाबी कदमों को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे सामने रहे हैं। फिलहाल नूरिस्तान में सशस्त्र लोगों के मारे जाने और 32 घायल होने संबंधी आंकड़े अफगान रक्षा मंत्रालय के दावे पर आधारित हैं। स्वतंत्र सत्यापन और पाकिस्तानी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही घटनाक्रम की पूर्ण तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

UNSC में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी को रूस का समर्थन

भारतातार्वह
Bhaaratataarth.com
नई दिल्ली, 27 सितंबर 2026 ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी को रूस का समर्थन मिला है । संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया । उन्होंने परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वकालत की । रूस ने भारत और ब्राजील की उम्मीदवारी का समर्थन किया 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान लावरोव ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के अधिक देशों को प्रतिनिधित्व देना होना चाहिए । रूस ने विशेष रूप से भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया । लावरोव ने साथ ही पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीटें देने का विरोध किया और जर्मनी तथा जापान का विशेष रूप से उल्लेख किया । रूस का रुख यह है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख

भारत
UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को रूस का समर्थन
INDIA
USA UK FRANCE RUSSIA CHINA

हुए किया जाना चाहिए । सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, पांच स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं । इनमें पांच स्थायी सदस्यकूअमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हैं, जबकि 10 गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है । स्थायी सदस्यों

पास वीटो अधिकार है। सुख्खा परिषद की मौजूदा संरचना को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय से सुधार की प्रक्रिया चल रही है। सुधार की प्रक्रिया अभी जारी संयुक्त राष्ट्र महासभा सुख्खा परिषद में समान प्रतिनिधित्व और सदस्यता बढ़ाने के मुद्दे पर अंतर-सरकारी वार्ता जारी रखे हुए है। महासभा ने 81वें सत्र में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। सुख्खा परिषद की संरचना में बदलाव केवल किसी एक देश के समर्थन से संभव नहीं है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित सैद्धान्तिक और राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ब्यापक सदस्य-समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत के लिए अहम कूटनीतिक मुद्दा भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुख्खा परिषद को मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक प्रतिनिधिक बनाने की मांग करता रहा है। भारत की दावेदारी के समर्थन में अलग-अलग देशों और समूहों की ओर से समय-समय पर बयान सामने आते रहे हैं।

स्पष्ट किया है। आधिकारिक भाषण में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक उदाहरण बताया।

मन की बात
138वाँ एपिसोड
पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ से लेकर स्वच्छता ताक की बात की

चरण में मकान सूचीकरण एवं आवास संबंधी जानकारी और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। नगरिकों का पहली बार ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ने पर जय मन की बात में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता से जुड़े देश के विभिन्न हिस्सों के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने नदियों, तालाबों, कुओं, समुद्र तटों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में युवाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा सामाजिक दायित्व है। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वच्छता को के सबसे सुंदर तरीकों में स्वच्छता को शामिल किया। पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय पहल का उल्लेख प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को केवल पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा तक सीमित न मानते हुए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के अवसर का बतवाई। उन्होंने विभिन्न राज्य में युवाओं और स्थानीय लोगों द्वारा जलस्रोतों तथा समुद्र तटों की सफाई जैसे प्रयासों का उल्लेख किया। उनके अनुसार स्वच्छता ही देश की नींव है।

धीर अन्य लोग उससे जुड़ते जाते हैं, तो यह जनभागीदारी का व्यापक रूप ले लेती है। गाँवों से खेल प्रप्रिभाओं की तलाश पर जोर प्रधानमन्त्री ने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से खेल प्रप्रिभाओं को सामने लाने की आवश्यकता पर भी बात की। उन्होंने पंजाब के हॉकी प्रशिक्षक राजिंदर सिंह के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहत प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करने और नई प्रप्रिभाओं की पहचान करने पर काम किया जा रहा है। प्रधानमन्त्री के अनुसार, ऐसे प्रयासों से उन क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, जहाँ खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं सीमित हैं। प्रतापगढ़ का आंवला बना स्थानीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण मन की बात में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के आंवले का भी उल्लेख हुआ। प्रधानमन्त्री ने बताया कि क्षेत्र में आंवला आधारित प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा आंवले से मुब्बों, जूट, रस, अचार और अन्य उत्पाद तैयार किए जाने का उल्लेख किया। एक जिला, एक उत्पाद पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिशीलता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

SIR विवाद पर भाजपा का पलटवार, आदित्य साहू बोले चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से आरोपों पर उठे सवाल

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
रांची, 27 सितंबर 2026। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में साहू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साहू ने कहा कि चुनाव आयोग के 26 सितंबर के संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद SIRको लेकर आयोग के भीतर मतभेद होने संबंधी राजनीतिक दावों पर स्थिति स्पष्ट हुई है। हालांकि, विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल और मीडिया रिपोर्टों में सामने आई आपत्तियों को लेकर राजनीतिक बहस अभी जारी है। आयोग ने क्या कहा? 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त एस.एस. संभू तथा विवेक जोशी की पूर्ण बैठक हुई। इसके बाद आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि SIRसे

संबंधित प्रमुख निर्णयों को तीनों आयुक्तों की सहमति प्राप्त थी। आयोग ने यह

मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं और उन्हें



भी कहा कि 24 जून 2025 का मूल आदेश और बाद में जारी चरणबद्ध कार्यक्रम पूर्ण आयोग की स्वीकृति से लिए गए। आयोग ने SIR के दौरान नोटिस प्राप्त ऐसे मतदाताओं के लिए प्रक्रिया में बदलाव की भी जानकारी दी, जिनके रिकॉर्ड में मैपिंग या तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं। आयोग के अनुसार, ऐसे मामलों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) संबं

धित ECINet पर अपलोड करेंगे। आदित्य साहू ने कांग्रेस पर लगाए आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग के संयुक्त बयान के बाद SIR को लेकर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की समीक्षा तथ्यों के

आधार पर होनी चाहिए। साहू ने यह भी कहा कि कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को SIR से संबंधित बताया गया नहीं है। उनके अनुसार, आयोग ने इस पत्र को प्रशासनिक विषय से संबंधित बताया है। SIR और फॉर्म-6 पर भी बहस प्रेसवार्ता में भाजपा नेता ने SIR के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म-6 और उससे जुड़े घोषणा-पत्र का भी उल्लेख किया। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर के अपने स्पष्टीकरण में कहा कि SIR से संबंधित फॉर्म-6 घोषणा-पत्र के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखा गया है, जबकि 'C' के बाहर सामान्य मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए मौजूदा नियम और फॉर्म लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 27 मई 2026 को Association for Democratic Reforms cuke Election Commission of India मामले में बिहार में SIR की वैधानिकता, उसके उद्देश्य और अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर फैसला दर्ज है। आयोग के भीतर मतभेद की रिपोर्ट से शुरू हुआ विवाद SIR को लेकर

मौजूदा राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में मीडिया रिपोर्टें भी रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त एस.एस. संभू और विवेक जोशी की ओर से विभिन्न SIR-संबंधी मुद्दों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि अधिकारियों के बीच विचारों में अंतर होना निर्णयों में असहमति के समान नहीं है और आयोग के अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। 26 सितंबर की पूर्ण आयोग बैठक के बाद जारी स्पष्टीकरण में भी आयोग ने SIR से जुड़े प्रमुख फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया। राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी निशाना आदित्य साहू ने प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और EVM को लेकर पहले दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष चुनावी परिणामों के बाद लगातार चुनाव प्रक्रिया तथा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने EVM, राफेल, बालाकोट और तवांग से जुड़े राहुल गांधी के पुराने बयानों का हवाला देते

हुए कांग्रेस पर राजनीतिक आरोप लगाए। इन मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से राजनीतिक मतभेद और सार्वजनिक बहस रही है। साहू ने कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने के बजाय उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में लगाए गए आरोपों पर माफी मांगने की मांग भी की। प्रेसवार्ता में ये नेता रहे मौजूद भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह, राफिया नाज, मीडिया सह प्रभारी सतीश सिन्हा और नीरज सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। SIR को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग का 26 सितंबर का स्पष्टीकरण अब इस विवाद में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक पक्ष के रूप में सामने आया है। हालांकि, SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची और आयोग की निर्णय प्रणाली को लेकर राजनीतिक दलों तथा विभिन्न पक्षों के बीच बहस जारी है।

अरुणाचल में संदिग्ध बाल तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा, 47 बच्चों समेत 51 बरामद

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
नामसाई, 27 सितंबर 2026। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में संदिग्ध बाल तस्करी और बच्चों की अवैध प्लेसमेंट से जुड़े मामले की जांच में पुलिस ने बड़ी प्रगति का दावा किया है। पुलिस के अनुसार अब तक 47 बच्चों समेत कुल 51 लोगों को बरामद /ट्रेस किया जा चुका है। मामले में एक और कथित सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या पांच हो गई है। जांच के दायरे में पांच कथित सहयोगी पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इससे इस प्रकरण में गिरफ्तार कथित सहयोगियों की संख्या पांच हो गई है। जांच एजेंसियां आरोपियों की भूमिका, बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया और कथित प्लेसमेंट व्यवस्था की कड़ियों की पड़ताल कर रही हैं। मामले में पहले तीन कथित बिचौलियों की गिरफ्तारी के बाद सितंबर की शुरुआत में पुलिस ने 34 बच्चों और चार वयस्कों सहित 38 लोगों को ट्रेस किया था। इसके बाद जांच आगे बढ़ने पर बरामदगी का आंकड़ा 51 तक पहुंचा। कमजोर परिवारों को कथित तौर पर बनाया निशाना पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संपर्क कर बच्चों को बेहतर शिक्षा, देखभाल और पालन-पोषण का भरोसा दिए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि इसके बाद कुछ बच्चों को दूसरे स्थानों पर ले जाकर विभिन्न लोगों के पास रखा गया। जांच में कुछ बच्चों के घरेलू काम और होटल से जुड़े कार्यों में लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बच्चों को किन परिस्थितियों में उनके परिवारों से अलग किया गया और उनकी देखभाल अथवा काम की व्यवस्था में किन लोगों की भूमिका थी। प्रति बच्चे 10 हजार से 50 हजार रुपये के लेन-देन की जांच पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में कुछ मामलों में प्रति बच्चे करीब 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के कथित आर्थिक लेन-देन के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियां अब इस पैसों के स्रोत, प्राप्तकर्ताओं और पूरे नेटवर्क में संभावित वित्तीय कड़ियों का पता लगाने में जुटी हैं। पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या किसी अभिभावक या अभिभावक के माध्यम से किसी व्यक्ति को धनराशि दी गई थी और यदि ऐसा हुआ तो उसके पीछे परिस्थितियां क्या थीं। इन पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अगस्त में दर्ज हुआ था मामला रिपोर्टों के अनुसार नामसाई पुलिस थाने में यह मामला 17 अगस्त को बाल कल्याण समिति की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

11 से 22 अक्टूबर तक सजेगा दुर्गोत्सव का रंग, वैशाली जन कल्याण समिति करेगी भव्य आयोजन

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 27 सितंबर 2026। वैशाली

को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कलश यात्रा से होगा महोत्सव का शुभारंभ



जन कल्याण समिति के तत्वावधान में बेंगलुरु में इस वर्ष 11 से 22 अक्टूबर 2026 तक भव्य नवरात्रि दशहरा महोत्सव एवं दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े इस आयोजन में कलश यात्रा, विभिन्न पूजा-आनुष्ठान, हवन, कन्या अधिग्रहण, प्रस्तावित परियोजना के बुद्ध विहार की सुरक्षा को लेकर आंदोलनकारियों की मांगें जारी हैं। इस संबंध में प्रशासन या संबंधित परियोजना प्राधिकरण की तलाज आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध होने पर मामले का दूसरा पक्ष भी सामने आ सकेगा।

महोत्सव की शुरुआत 11 अक्टूबर को सुबह 8 बजे कलश यात्रा से होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे कलश स्थापना की जाएगी। समिति के अनुसार, इसके साथ ही नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा से जुड़े धार्मिक कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ होगा। कार्यक्रम के निष्पत्ति क्रम के अनुसार 17 अक्टूबर को महा सप्तमी पूजा, 18 अक्टूबर को महा अष्टमी पूजा और 19 अक्टूबर को कुम्भकुम्भ अभिषेक एवं छप्पन भोग का आयोजन किया जाएगा। 20 अक्टूबर को महा नवमी पूजा के साथ हवन और कन्या पूजा होगी। 21 अक्टूबर को विजयादशमी पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके

अगले दिन 22 अक्टूबर को दोहहर 12:30 बजे से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। पांच दिनों तक भक्ति संगीत दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक वातावरण को और भक्तिमय बनाने के लिए 17 से 21 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक भक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिति की ओर से श्रद्धालुओं और प्रवासी समाज के लोगों से इन कार्यक्रमों में सहभागिता की अपील की गई है। तैयारियों को लेकर समिति की बैठक आयोजन के लिए तैयारियों को लेकर बीटीएम लेआउट में समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूजा अध्यक्ष पंकज सिंह, ट्रस्ट अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, सचिव मुकेश सिंह, कोषाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह सहित प्रवीण पांडेय, ए.के. गुप्ता, भूपण सिंह, बबलू सिंह और समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पूजा एवं दशहरा महोत्सव को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पूजा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शोभायात्रा और विसर्जन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

देश की पहली LNG-डीजल डुअल-फ्यूल ट्रेन शुरू, डीजल खपत में 40: तक कमी का लक्ष्य

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
अहमदाबाद, 27 सितंबर 2026। भारतीय रेलवे ने वैकल्पिक ईंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली LNG-डीजल डुअल-फ्यूल DEMU ट्रेन की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अनित शाह ने 27 सितंबर को गुजरात के साबरमती स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेलवे के अनुसार, नई तकनीक का उद्देश्य डीजल की खपत, ईंधन लागत और उत्सर्जन को कम करना है। LNG और डीजल दोनों से चलेगी ट्रेन यह ट्रेन पूरी तरह LNG पर निर्भर नहीं है। इसमें इस्तेमाल किया गया डुअल-फ्यूल सिस्टम एक ही इंजन को LNG और डीजल दोनों से चलने की सुविधा देता है। ईंधन की उपलब्धता के अनुसार सिस्टम दोनों ईंधनों के बीच बदलाव कर सकता है। इससे LNG उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी ट्रेन का संचालन जारी रखा जा सकता है। रेलवे के अनुसार, इस तकनीक से LNG लगभग 40 प्रतिशत तक डीजल की जगह ले सकती है। परियोजना के तहत 1,400 हॉर्सपावर क्षमता वाली दो ड्राइविंग पावर कारों (DPC) को

LNG-डीजल डुअल-फ्यूल प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। इन दोनों DPC पर 2,000 किलोमीटर से अधिक का परीक्षण भी पूरा किया जा चुका है। प्रत्येक DPC में 2,200 लीटर का LNG टैंक नई प्रणाली



वाली प्रत्येक ड्राइविंग पावर कार में करीब 2,200 लीटर क्षमता का LNG टैंक लगाया गया है। इसमें लगभग 950 से 1,000 किलोग्राम उपयोग योग्य LNG रखने की क्षमता बताई गई है। रेलवे के अनुसार, स्वीकृत डिजाइन के तहत एक DPC में पूरी तरह भरे LNG टैंक से लगभग 40 किलोमीटर तक के दैनिक परिचालन के लिए ईंधन उपलब्ध हो सकता है। हालांकि, वास्तविक परिचालन दूरी सेवा, भार और परिचालन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। साबरमती से मेहसाणा तक

पहली यात्रा ट्रेन की उद्घाटन यात्रा साबरमती से मेहसाणा जंक्शन के बीच निर्धारित की गई है। यह आठ कोच वाली गैर-वातानुकूलित चेयर कार ट्रेन है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नियमित परिचालन का अंतिम के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करना तथा ग्रामीणों की भूमि और तथागत बुद्ध बिहार की सुरक्षा को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन लेना शामिल है। आंदोलनकारियों का कहना है कि किसी भी विकास परियोजना के कारण विरोध केवल भूमि से संबंधित नहीं

के साथ कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। इस लिहाज से परियोजना को रेलवे में वैकल्पिक और पेंफ्लाकृत कम-उत्सर्जन वाले ईंधन के इस्तेमाल की दिशा में एक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन के बाद वैकल्पिक ईंधन पर दूसरा बड़ा कदम भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में जींद-सोनीपत मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू की थी। LNG ट्रेन उससे अलग तकनीक पर आधारित है। हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन-सेल आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करती है, जबकि नई LNG ट्रेन पारंपरिक इंजन को LNG-डीजल डुअल-फ्यूल प्रणाली में परिवर्तित करके संचालित करती है। LNG ट्रेन की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे के सामने अब इस तकनीक के दीर्घकालिक प्रदर्शन, ईंधन उपलब्धता, रखरखाव लागत और वास्तविक उत्सर्जन बचत को परिचालन स्तर पर परखने की चुनौती भी होगी। परीक्षण के बाद नियमित संचालन से मिलने वाले आंकड़े ही इसकी दीर्घकालिक उपयोगिता का बेहतर आकलन करने में मदद करेंगे।

विरोध के बीच विजय सरकार का यू-टर्न, कानून-व्यवस्था विभाग को RTI से बाहर रखने का आदेश वापस

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
चेन्नई, 27 सितंबर 2026।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलग

वेत्ती कक्षगम (TVK) सरकार ने सार्वजनिक कानून-व्यवस्था विभाग को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर रखने संबंधी आदेश वापस ले लिया है। यह फैसला 21 सितंबर को जारी आदेश के बाद राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बीच सामने आया है। राज्य सरकार ने 21 सितंबर के आदेश में RTI अधिनियम की धारा 24(4) के तहत पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) विभाग को एक 'इंटेलेजेंस' एंड 'सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन' के रूप में अधिसूचित किया था। इसके बाद विभाग से संबंधित कई तरह की सूचनाओं तक RTI के माध्यम से आम लोगों की पहुंच सीमित होने की आशंका जताई गई थी। 27 सितंबर को सरकार ने नया आदेश जारी कर पिछली छूट को निस्त कर दिया। किन सूचनाओं को लेकर उठे थे सवाल? पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) विभाग के दायरे में पुलिस कार्यवाई और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई विषय आते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इनमें पुलिस



को लेकर सवाल उठे थे। विरोध करने वाले पक्षों का तर्क था कि इससे सरकारी कामकाज और पुलिस-प्रशासन से जुड़े मामलों में सार्वजनिक जवाबदेही प्रभावित हो सकती है। सरकार ने अब क्या फैसला लिया? तमिलनाडु सरकार ने 27 सितंबर को स्पष्ट किया कि 21 सितंबर 2026 को मानव संसाधन नया आदेश जारी कर पिछली छूट को निस्त कर दिया। किन सूचनाओं को लेकर उठे थे सवाल? पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) विभाग को RTI अधिनियम से छूट दी गई थी, अब वापस लिया जा चुका है। इससे संबंधित विभाग फिर से सामान्य त्त्व व्यवस्था के दायरे में रहेगा। यह

घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर कानून-व्यवस्था दलों और सरकार से जुड़े सहयोगी दलों की ओर से भी इसकी आलोचना सामने आई। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, आलोचना में पारदर्शिता, पुलिस कार्यवाई और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में सार्वजनिक जानकारी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। विपक्षी दलों ने उठाए थे सवाल आदेश सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। रिपोर्टों के अनुसार, CPI(M) सांसद सी.एन. अन्नादुरई वेंकटेशन ने इसे लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए गंभीर कदम बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की थी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी RTI को सरकारी जवाबदेही से जोड़ते हुए इस तरह के दायरे को सीमित करने पर आपत्ति जताई थी। वहीं, सरकार की ओर से पहले यह तर्क दिया गया था कि कानून-व्यवस्था विभाग के कुछ हिस्सों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं को लेकर विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। सरकार से जुड़े मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने भी वापस लिया जा चुका है। इससे संबंधित विभाग फिर से सामान्य त्त्व व्यवस्था के दायरे में रहेगा। यह

आदेश वापस ले लिया गया। RTI की धारा 24(4) क्या है? RTI अधिनियम की धारा 24 कुछ सुक्रिया और सुरक्षा संघटनों को अधिनियम के सामान्य दायरे से छूट देने का प्रावधान करती है। तमिलनाडु सरकार ने इसी प्रावधान के तहत पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) विभाग को अधिसूचित करने का प्रयास किया था। हालांकि, 27 सितंबर को आदेश वापस लिए जाने के बाद इस विशेष छूट की स्थिति समाप्त हो गई है। इसका अर्थ है कि विभाग को त्त्व व्यवस्था से बाहर रखने वाला 21 सितंबर का आदेश अब प्रभावी नहीं रहेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी विभागों में पारदर्शिता, संवेदनशील कानून-व्यवस्था संबंधी सूचनाओं की सुरक्षा और नागरिकों के सूचना के अधिकार के बीच संतुलन पर बहस को फिर सामने ला दिया है। फिलहाल सरकार द्वारा आदेश वापस लिए जाने के बाद कानून-व्यवस्था विभाग को RTI से अलग करने का फैसला प्रभावी नहीं है। आगे इस तरह के मामलों में सरकार संवेदनशील सूचनाओं और नागरिकों के सूचना के अधिकार के बीच किस तरह संतुलन कायम करती है, यह प्रशासनिक और सार्वजनिक निगरानी का विषय रहेगा।